भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2966

बुधवार, 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

निवेश आकर्षित करना

2966. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में निवेश आकर्षित करने और वैश्विक व्यापार में बहुपक्षीय संगठनों में भारत की बढ़ती भूमिका को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में गुणवत्ता, संवहनीयता और नवोन्मेष में सुधार करने के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): भारत में निवेश को बढ़ावा देने और उसे आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय और पहलें की गई हैं। निवेश में सहायता करने, नव्रपयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्कृष्ट अवसंरचना का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी। यह यह एक विशिष्ट 'वोकल फॉर लोकल' पहल है जिसने भारत के विनिर्माण को बढ़ावा दिया है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की जारी स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी लाने के उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के जरिए घरेलू विनिर्माण बो बढ़ावा देने के उपाय, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) आदि शामिल हैं।

अधिक निवेश मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी आकर्षित करने के लिए सरकार ने निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति तैयार की है जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खोले गए हैं। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों, जैसे रक्षा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसम्पत्ति पुनर्निर्धारण कंपनियां, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, नागर विमानन, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स क्रियाकलाप, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, बीमा क्षेत्र की मध्यवर्ती कंपनियां, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार आदि में एफडीआई संबंधी अनेक परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। सरकार एफडीआई नीति की निरंतर आधार पर समीक्षा करती है और समय-समय पर इसमें महत्वपूर्ण बदलाव

करती है ताकि भारत का आकर्षक और निवेशक अनुकूल स्थल बने रहना सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से डीपीआईआईटी ने 1,14,902 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत नवप्रयोग, प्रौद्योगिकियों के निर्माण के टिकाऊ मॉडल पर आधारित हैं।

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की घोषणा की गई ताकि भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाया जा सके।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य, प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता और बड़े पैमाने की किफायत करना और भारतीय कंपनियों तथा विनिर्माताओं को उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण कार्यकलापों में बढ़ोत्तरी करने और अगले पांच वर्षों के दौरान आर्थिक वृद्धि में योगदान करने की क्षमता है।

ये सभी पहलें और उपाय वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

*****